भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं:. 1554

उत्तर देने की तारीख :28.07.2026

बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना

1554. श्री इटेला राजेंदर:

श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि मंत्रालय ने वर्ष 2008-09 और 2010-11 के दौरान बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (बीजेआरसीवाई) की पूर्ववर्ती योजना के अंतर्गत अविभाजित आंध्र प्रदेश को 10 छात्रावासों के निर्माण के लिए 1037.50 लाख रुपये स्वीकृत किए थे और इनमें से 6 छात्रावास आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अनुसार राज्य के विभाजन के बाद तेलंगाना राज्य के अंतर्गत आए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि राज्य के विभाजन के बाद अर्थात् वर्ष 2014-15 से अब तक तेलंगाना राज्य को कोई नया छात्रावास स्वीकृत नहीं किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या तेलंगाना सरकार ने वर्ष 2021 में पीएम-अजय योजना के अंतर्गत प्रत्येक भवन के लिए 3.00 करोड़ रुपये की दर से 21.00 करोड़ रुपये की राशि से सात नए बालिका-छात्रावास भवनों के निर्माण के लिए निर्धारित प्रपत्र में सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ मंत्रालय को परियोजना प्रस्ताव भेजे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले(

(क): वर्ष 2008-09 और 2010-11 के दौरान, आंध्र प्रदेश राज्य में कुल 12 छात्रावास स्वीकृत किए गए थे, जिनके लिए 13.37 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। इन 12 छात्रावासों में से 6 छात्रावास तेलंगाना राज्य के अंतर्गत आते हैं। इन 12 छात्रावासों का राज्यवार विवरण संलग्नक में दिया गया है।

(ख): वर्ष 2014-15 से, उस्मानिया विश्वविद्यालय (तेलंगाना) के लिए 02 नए छात्रावास वर्ष 2023-24 में स्वीकृत किए गए थे, जिसके लिए 7.50 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।

(ग): वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 07 बालिका छात्रावासों के निर्माण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। चूंकि योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्ताव अपूर्ण थे, इसलिए अगस्त 2020 में तेलंगाना राज्य सरकार से अतिरिक्त जानकारी मांगी गई थी। अनुसूचित जाति विकास विभाग, तेलंगाना सरकार ने जून 2021 में अपने पत्र द्वारा उत्तर दिया था। उत्तर के परीक्षण पर यह पाया गया कि प्रस्तावों में भूमि के स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों, सटीक साइट प्लान और पूरी तरह से निर्मित हो चुके छात्रावासों में अधिभोग की स्थिति से संबंधित पूर्ण सूचना/दस्तावेजों की कमी थी, क्योंकि राज्य सरकार ने बताया था कि भूमि के स्वामित्व के प्रमाणित दस्तावेज, साइट प्लान और निर्माण एवं अधिभोग की स्थिति संबंधी सूचना प्रदान करने के लिए जिला कलेक्टरों से कहा गया था।

बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1554 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक

वर्ष 2008-09 और 2010-11 के दौरान स्वीकृत 12 छात्रावासों का राज्यवार विवरण

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	जिला	स्वीकृति का वर्ष	बालिका/बालक छात्रावास	जारी राशि
1.	आंध्र प्रदेश	नेल्लौर	2008-09	बालिका	0.60
2.	आंध्र प्रदेश	अनंतपुर	2008-09	बालिका	0.60
3.	आंध्र प्रदेश	चित्तूर	2008-09	बालिका	0.60
4.	तेलंगाना	मेदक	2008-09	बालिका	0.625
5.	तेलंगाना	आदिलाबाद	2008-09	बालिका	0.625
6.	तेलंगाना	करीमनगर	2008-09	बालिका	0.625
7.	तेलंगाना	नलगोंडा	2008-09	बालिका	0.625
8.	आंध्र प्रदेश	प्रकाशम	2010-11	बालिका	2.00
9.	आंध्र प्रदेश	श्रीकाकुलम	2010-11	बालिका	1.42
10.	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	2010-11	बालिका	1.65
11.	तेलंगाना	हैदराबाद	2010-11	बालिका	2.00
12.	तेलंगाना	रंगारेड्डी	2010-11	बालिका	2.00
कुल					13.37
